



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12042021-226510
CG-DL-E-12042021-226510

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1419]
No. 1419]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 9, 2021/चैत्र 19, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 9, 2021/CHAITRA 19, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2021

का.आ. 1530(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1834 (अ), जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के धर्मपुरी जिले में NH 844 के कि.मी. 53.500 से कि.मी. 94.460 (नेरलूर - रायकोटा: - धर्मपुरी सेक्शन ऑफ़ NH-844) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "08 अगस्त 2020" को "थिनथानथी" और "दे न्यू इंडियन एक्सप्रेस" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के धर्मपुरी जिले में NH 844 के कि.मी. 53.500 से कि.मी.94.460 (नेरलूरु - रायकोटा: - धर्मपुरी सेक्शन ऑफ़ NH-844) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: तमिलनाडु		जिले का नाम: धर्मपुरी			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: पालक्काडु				
	गांव का नाम: एरनाहली				
1	20/1	सरकारी	पोरंबोके	0.0081	गोवट ऑफ़ तमिलनाडु (२०/१)
2	24/1B	निजी	ड्राई	0.065	१. पेरियासामी एस/ओ मुनियप्पन २. वदिवेल एस/ओ मुनियप्पन (२४/१ब१)
3	24/2	निजी	ड्राई	0.095	१. पेरियासामी एस/ओ मुनियप्पन २. वदिवेल एस/ओ मुनियप्पन (२४/२)
4	842/1	निजी	ड्राई	0.069	चिन्नापेरुमल एस/ओ रामगोयन्दर (८४२/१अ)
5	842/2	निजी	ड्राई	0.1077	१. राजी @ वेडियप्पन एस/ओ चिन्नापेरुमल २. रंगनाथन एस/ओ राजी @ वेडियप्पन ३. वेत्रायॉ (८४२/२अ)

6	843/2B1	निजी	ड्राई	0.004	पेरूमल एस/ओ कोनयां (८४३ /२ब१अ)
7	843/2B2	निजी	ड्राई	0.0433	वदिवेल एस/ओ पेरूमल गौंडर (८४३ /२ब२ब)
8	843/2B3	निजी	ड्राई	0.004	पेरूमल एस/ओ कोनयां @ पेरूमल (८४३ /२ब३ब)
9	898/A1B	निजी	ड्राई	0.0247	ढंडेउठाबनि एस/ओ राजगोपालगौंडर (८९८/अ१ब२)
10	898/A1D	निजी	ड्राई	0.0014	राममूर्ति एस/ओ राजगोपालगौंडर (८९८/अ१ड२)
11	898/A2	निजी	ड्राई	0.1172	कृष्णामूर्ति एस/ओ राजी @ वेडियप्पन (८९८/अ२अ)
गांव का नाम: जित्तणदहल्ली					
12	208/6E	निजी	ड्राई	0.1071	राजी एंड २ अदर्स (२०८/६ी२)
13	372/3B	निजी	ड्राई	0.0499	टी. वेलु (३७२ /३ब२)
14	620/2	निजी	ड्राई	0.0241	कंधन एस/ओ पेरूमल @ चित्रपिळ्ळे (६२० /२ब)
गांव का नाम: पपनेकानपट्टी					
15	112/11C1	निजी	ड्राई	0.0062	नारायणन एस / ओ मरियप्पन (११२ /११क)
16	112/16A1	निजी	ड्राई	0.0088	कृष्णन एस/ओ रमन (११२ /१६अ१ब)
17	112/1D2C	निजी	ड्राई	0.0027	लक्ष्मणन एस/ओ मरियप्पन (११२ /१ड२क)
गांव का नाम: वेलकलाहल्ली					
18	221	सरकारी	पोरंबोके	0.0346	गोवट ऑफ़ तमिलनाडु (२२१)
19	222/7C1	निजी	ड्राई	0.0168	१. कृष्णन २. सुरेश (२२२ /७क१अ)
20	28/16B	निजी	ड्राई	0.0169	शिवकुमार एंड २ अदर्स

					(२८ / १६७१)
			कुल	0.8065	

[फा. सं. NHAI/11021/3/PIUKRISHNAGIRI/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th April, 2021

S.O. 1530(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O 1834(E), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH 844 on the stretch of land from Km 53.500 to Km 94.460 (Neraluru - Rayakottah - Dharmapuri Section) in the district of Dharmapuri in the State of Tamil Nadu;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dailythanthi” and “The New Indian Express” both dated 08 August 2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH 844 in the stretch of land from Km. 53.500 to Km. 94.460 (Neraluru - Rayakottah - Dharmapuri Section) in the district of Dharmapuri in the State of Tamil Nadu

State: TAMIL NADU			District: DHARMAPURI		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Palakkodu				
	Village: Erranahalli				
1	20/1	Government	Poramboke	0.0081	Govt of TamilNadu 20/1
2	24/1B	Private	Dry	0.065	1. Periyasamy S/o Muniyappan, 2. Vadivel S/o Muniyappan 24/1B1
3	24/2	Private	Dry	0.095	1. Periyasamy S/o Muniyappan, 2. Vadivel S/o Muniyappan 24/2
4	842/1	Private	Dry	0.069	Chinnaperumal S/o Ramagounder

					842/1A
5	842/2	Private	Dry	0.1077	1. Raji @ Vedyappan S/o Chinnaperumal, 2. Ranganathan S/o Raji @ Vedyappan, 3. Vetrayan 842/2A
6	843/2B1	Private	Dry	0.004	Perumal S/o Konayan 843/2B1A
7	843/2B2	Private	Dry	0.0433	Vadivel S/o Perumal gounder 843/2B2B
8	843/2B3	Private	Dry	0.004	Perumal S/o Konayan @ Perumal 843/2B3B
9	898/A1B	Private	Dry	0.0247	Dhandayuthabani S/o Rajagopalgounder 898/A1B2
10	898/A1D	Private	Dry	0.0014	Ramamoorthy S/o Rajagopalgounder 898/A1D2
11	898/A2	Private	Dry	0.1172	Krishnamoorthy S/o Raji @ Vedyappan 898/A2A
	Village: Jittandahalli				
12	208/6E	Private	Dry	0.1071	Raji and 2 Others 208/6E2
13	372/3B	Private	Dry	0.0499	T. Velu 372/3B2
14	620/2	Private	Dry	0.0241	Kandhan S/o Perumal @ Chinnapillai 620/2B
	Village: Papanaiakanapatti				
15	112/11C1	Private	Dry	0.0062	Narayanan S/o Mariyappan 112/11C
16	112/16A1	Private	Dry	0.0088	Krishnan S/o Raman 112/16A1B
17	112/1D2C	Private	Dry	0.0027	Lakshmanan S/o Mariyappan 112/1D2C
	Village: Velakalahalli				
18	221	Government	Poramboke	0.0346	Govt of TamilNadu 221/
19	222/7C1	Private	Dry	0.0168	1. Krishnan 2. Suresh 222/7C1A
20	28/16B	Private	Dry	0.0169	Sivakumar and 2 others 28/16B1
			TOTAL	0.8065	

[F. No. NHAI/11021/3/PIUKRISHNAGIRI/3D]

RAJESH GUPTA, Director